संख्या-110/2022/1052ई/23-11-2022/005-1-2-129-2020

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-926/CE-HQ/ISC CRP/2022-23, दिनांक, 03-08-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत **01** चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 **385.34 (रू0 तीन करोड पचासी लाख चौतीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत के उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	प्रा0ख0 महराजगंज	जनपद महराजगंज में निचलौल बहुआर इण्डों नेपाल बार्डर मार्ग (अ0जि0मा0) में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 8.30 कि0मी0)।	3257.19 3225.76	30.00	700.00

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आंवटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत ओदशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आंवटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र/कार्य के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0 प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आंवटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आंवटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-4-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये **3,85,34,000 (रू0 तीन करोड़ पचासी लाख चौतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**058 लेखा शीर्षक 5054043371700** प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण **मानक मद-24** वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधिनित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-110/2022/1052ई(1)/23-11-2022/005-1-2-129-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1)लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0 प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0 प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी(आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार अग्रवाल)
संयुक्त सचिव।